

Filling no. RCS-A/554/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 154 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

**(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/554/2017

CNR no. MP30010048612017

सिविल वाद क्रमांक 154 ए/2017

संस्थापन दिनांक :-30.08.2017

मिजाजीलाल बघेल पुत्र छत्रपाल सिंह बघेल,  
उम्र-75 वर्ष, निवासी-ग्राम नेता का पुरा खिपोना,  
परगना अटेर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी/आवेदक

**//बनाम//**

1. धनीराम पुत्र छत्रपाल बघेल, उम्र-65 वर्ष
  2. रामगोपाल पुत्र धनीराम बघेल, उम्र-35 वर्ष
- दोनों निवासी-ग्राम नेता का पुरा खिपोना,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0) .....असल प्रतिवादीगण/अनावेदकगण
3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0) .....तस्तीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री अमृतपाल सिंह बघेल।  
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री सुरेश समाधिया अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक 3 पूर्व से एकपक्षीय।

**//आदेश//**

( आज दिनांक 15.12.2017 को घोषित )

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 2/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में ग्राम खिपोना की भूमि सर्वे क्र0 954 क्षेत्रफल 0.140 हे0, सर्वे क्र0 961 क्षेत्रफल 0.510 हे0 एवं सर्वे क्र0 963 क्षेत्रफल 0.720 हे0 (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमियां" से निर्दिष्ट) के अंश भाग पर स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।
3. आवेदन यह है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता स्व0 छत्रपाल के स्वत्व की विवादित भूमियों में वादी का 1/2 भाग पर स्वत्व है, इसी अनुसार वादी

मौके पर काबिज है और करीब 20 वर्ष पूर्व ही घरेलू विभाजन हो गया। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता स्व० छत्रपाल द्वारा भूमि सर्वे क्र० 954 के आधे अंश भाग 7 बिस्वा जगह पर निवास के लिये मकान बनाया गया जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 के अलग-अलग मकान बने हुये हैं और शेष आधा अंश भाग खुली जगह पर वादी का कब्जा व निस्तार है। समाज व रिश्तेदारों के द्वारा करीब 20 वर्ष पूर्व कराये गये घरेलू बंटवारे में वादी को भूमि सर्वे क्र० 954 क्षेत्र 0.140 हे० व भूमि सर्वे क्र० 961 क्षेत्र 0.510 हे० प्राप्त हुई और इसी घरेलू विभाजन में वादी के सगे भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 को भूमि सर्वे क्र० 963 क्षेत्र 0.720 हे० प्राप्त हुई। घरेलू बंटवारे के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं, वादी ने अपने भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 पर विश्वास करते हुये सर्वे क्र० 961 क्षेत्र 0.510 हे० पर संयुक्त रूप से ट्यूबवेल का उत्खनन कराया, पूर्व-पश्चिम में ट्यूबवेल की तिवरिया बनी हुई है और उक्त ट्यूबवेल की आय वादी व प्रतिवादी आपस में बांट लेते हैं। विवादित भूमियों का बिना कोई विधिवत् बंटवारा कराये प्रतिवादी क्र० 1 ट्यूबवेल व तिवरिया से लगी 30 फीट गुण 30 फीट पर दिनांक 15.08.2017 को नींव खोदने लगा और मना करने पर झगड़ा करने लगा। इसके बाद वादी ने दिनांक 20.08.2017 को पंचायत लगाई किन्तु प्रतिवादी ने पंचों की बात नहीं मानी और निर्माण सामाग्री इकट्ठा कर जबरन निर्माण करने की धमकी दी है। उक्त तथ्यों के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है और वाद के लम्बनकाल के दौरान निर्माण कर लेने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों पर निर्माण करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियों पर पिता स्व० छत्रपाल की पुत्री किशोरी देवी का भी 1/3 भाग है, विवादित भूमियों का अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है और प्रत्येक सहस्वामी का संयुक्त कब्जा है। वादी का भूमि सर्वे क्रमांक 954 के अंश भाग क्षेत्रफल 7 बिस्वा पर एकल स्वत्व या कब्जा नहीं है, वास्तव में अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है और ट्यूबवेल सहित सभी विवादित भूमियों पर संयुक्त कब्जा है। वादी का एक तरफ यह अभिवचन है कि घरेलू बंटवारा हो गया है, दूसरी तरफ यह विरोधाभासी अभिवचन है कि बंटवारा कराये बिना निर्माण नहीं किया जा सकता और वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 की बहिन किशोरी देवी ने अपने 1/3 अंश के लिये सिविल वाद भी संस्थित कर दिया है। एक सहस्वामी को दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध कब्जे में हस्तक्षेप के संबंध में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है, वाद में आवश्यक पक्षकार स्व० छत्रपाल की पुत्री किशोरी देवी के असंयोजन का दोष होने से वाद प्रचलनयोग्य नहीं है और वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाये।

**5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-**

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार****विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

6. वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचन में सारतः इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमियाँ उनके पिता स्व० छत्रपाल के स्वत्व व कब्जे की भूमियाँ थीं और छत्रपाल की मृत्यु के बाद पुत्र होने के नाते वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 उत्तराधिकारी हैं। वादी के अनुसार विवादित भूमियों पर 1/2 भाग वादी का व शेष 1/2 भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 का है, इसके विपरीत प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियों पर 1/3 भाग स्व० छत्रपाल की पुत्री किशोरी देवी का भी है और किशोरी देवी को पक्षकार न बनाने से यह वाद प्रचलनयोग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से किसी भी वाद में प्रभावी डिक्री अवश्य पारित नहीं की जा सकती है परन्तु विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आवश्यक पक्षकार को पक्षकार के रूप में संयोजित न करने पर वाद पोषणीय नहीं है।

7. वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियों के संबंध में घरेलू विभाजन हो चुका है, घरेलू विभाजन भूमि सर्वे क्रमांक 954 के आधे अंशभाग 7 बिस्वा पर निर्मित मकान में वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 अलग-अलग रहते हैं, शेष आधा भाग 7 बिस्वा वादी के एकल स्वत्व व कब्जे का है, घरेलू विभाजन में ही सर्वे क्र० 961 क्षेत्र 0.510 हेक्टेयर भी अकेले वादी को प्राप्त हुआ है और सर्वे क्रमांक 963 क्षेत्र 0.720 हेक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक 2 को प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम सहस्वामी के रूप में विवादित भूमियों पर दर्ज है और एक सहस्वामी के विरुद्ध कब्जे में हस्तक्षेप के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।

8. विधि के इस सिद्धान्त पर कोई विवाद नहीं है कि सहस्वामी का कब्जा प्रत्येक भाग पर होता है और एक सहस्वामी के विरुद्ध कब्जे में हस्तक्षेप के संबंध में निवारक आदेश या निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों को संरक्षित व सुरक्षित रखा जाना भी समीचीन है जिससे कि अनावश्यक विवाद व मुकद्दमेबाजी न बढ़े।

9. अभिवचनों में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमियों में से सर्वे क्रमांक 961 पर ट्यूबवेल व तिवरिया (ट्यूबवेल का कमरा) बना है। वादी का यह अभिवचन है कि सर्वे क्रमांक 961 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल विभाजन में उसे प्राप्त हुआ, जबकि प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि कोई विभाजन नहीं हुआ है और अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि भूमि सर्वे क्रमांक 961 पर कोई नया निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

10. इस मामले में यह सारभूत विवाद है कि विवादित भूमियों के सहस्वामियों के बीच विभाजन हो चुका है या नहीं, इस तथ्य का निराकरण साक्ष्य के उपरान्त गुणदोष पर ही किया जा सकता है और इस प्रक्रम पर विभाजन या बंटवारा के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। मामले में एक सारभूत विवाद अंतर्वलित है, जिसका निराकरण साक्ष्य के उपरान्त गुणदोष पर ही किया जाना है और किसी भी पक्षकार के जीतने की संभावना पर विचार किये बिना प्रथम दृष्ट्या मामला प्रकट होता है।

11. इस वाद के लम्बन के दौरान मौके पर निर्माण कार्य किये जाने की दशा में अनावश्यक विवाद व मुकदमेबाजी बढ़ेगी, यद्यपि कि सहस्वामी के विरुद्ध कब्जे के संबंध में निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती परन्तु किसी भी सहस्वामी को उनके संयुक्त स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों के अनन्य उपयोग या निर्माण की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में है। यदि बिना विभाजन के निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो वाद का उद्देश्य विफल हो जाएगा और मामले के उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरांत वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 2/17 स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे भूमि सर्वे क्रमांक 961 पर कोई नवीन निर्माण कार्य न करें और उभयपक्ष यथास्थिति बनाये रखें। इस आदेश का प्रकरण के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड  
(म0प्र0)